अध्याय I: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से परिबद्ध है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह सात संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य के प्रमुख संकेतक **तालिका 1.1** एवं ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य के प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल*	2011	लाख वर्ग किलो मीटर	3.42	32.87
2.	जनसंख्या^	2011	करोड़	6.92	122.02
3.	दशकीय वृद्धि दर^	2011-2021	प्रतिशतता	15.28	12.30
4.	जनसंख्या घनत्व^^	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किलो मीटर	200	382
5.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या*	2011	प्रतिशतता	24.9	31.1
6.	लिंगानुपात*	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
7.	साक्षरता दर[&]	2011	प्रतिशतता	66.10	73.00
8.	प्रति व्यक्ति आय	2020-21	₹ में	1,09,386*	1,28,829[$]
9.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी[$]	2020-21	₹ में	1,21,468	1,45,680
10.	शिशु मृत्यु दर[&&]		प्रति 1,000 जीवित जन्म	35.00	30.00
11.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा[&&&]	2014-2018	वर्षों	68.70	69.40
12.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)[$]		प्रतिशतता	14.71	21.92

* आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार।

^ भारत एवं राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमानों (2011-2036) पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

^^ महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

& जनगणना 2011

$ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय, भारत सरकार

&& एस आर एस बुलेटिन, अक्टूबर 2021

&&& एस आर एस संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितम्बर 2020)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.71 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.90 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,386 रही जो कि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय ₹1,28,829 से कम थी।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक तय समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है।

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृतियों को **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	जीडीपी* (2011-12 श्रृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,012	1,97,45,670[@]
2.	गत वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-) 2.97
3.	राज्य की जीएसडीपी** (2011-12 श्रृंखला)	7,60,587	8,28,661	9,21,789 [Σ]	9,98,999[£]	9,57,912[##]
4.	गत वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.61	8.95	11.24	8.38	(-)4.11

* केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मन्त्रालय।

** आर्थिक समीक्षा (2020-21), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

अग्रिम अनुमान, Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I, @ अनन्तिम अनुमान

जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान, राजस्थान की जीएसडीपी जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी ने राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगने के कारण ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की। जीएसडीपी में गिरावट जीडीपी में गिरावट से ज्यादा थी।

वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)

चार्ट 1.1 से प्रकट होता है कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उद्योगों के सापेक्षिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2016-17 में 29.46 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020-21 में 24.80 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2016-17 की तुलना में सेवा एवं कृषि क्षेत्र के सापेक्षिक योगदान में वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (वर्ष 2016-17 एवं 2020-21)

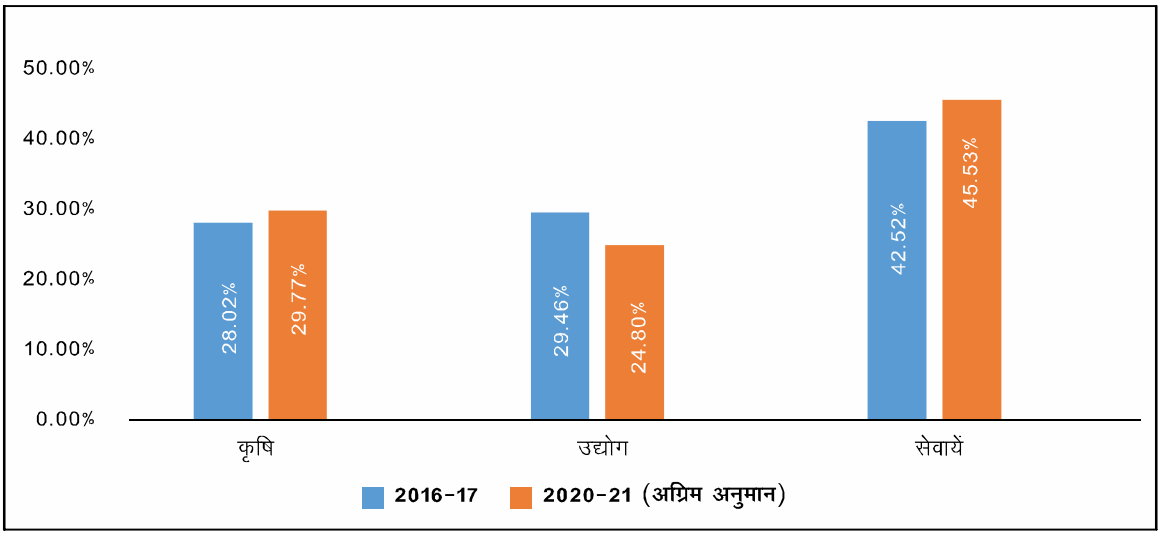

स्रोतः आर्थिक समीक्षा (2020-21), राजस्थान सरकार।

वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट आई जैसा कि **चार्ट 1.2** से देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में लगभग आधी थी, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2016-17 से 2020-21)

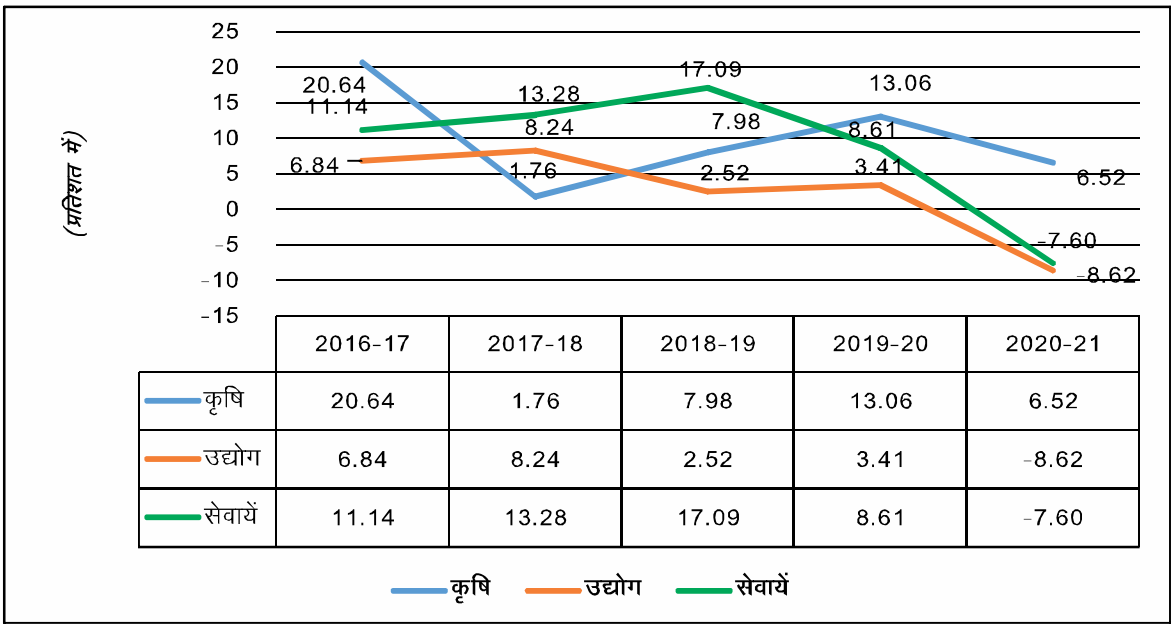

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कृषि	20.64	1.76	7.98	13.06	6.52
उद्योग	6.84	8.24	2.52	3.41	-8.62
सेवायें	11.14	13.28	17.09	8.61	-7.60

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा भेजे गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करते हैं। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित किये जाते हैं एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट- राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं दोनों के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस के साथ-साथ लेखांकन);
- आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- वर्ष 2015-21 के दौरान तैयार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएम), भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित है:

अध्याय I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय II	**राज्य का वित्त** यह अध्याय राज्य के वित्त, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रो में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृतियों, राज्य के ऋण की जानकारी और राज्य के वित्त लेखों पर आधारित प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है।

अध्याय III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय IV	**लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों की अनुपालना नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राशि शामिल है। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय (प्रभारित व्यय) की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुनर्अदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया जाता है और अप्रत्याशित व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशि, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में पुनर्अदायगी जैसे लघु बचतें और भविष्य निधि, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी और समायोजन लंबित है) सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित है:

• **ऋण प्राप्तियां**: बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि;

• **गैर-ऋण प्राप्तियां**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार की एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों हैं।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय के लिए, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, "निर्माण" पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखो की संरचना

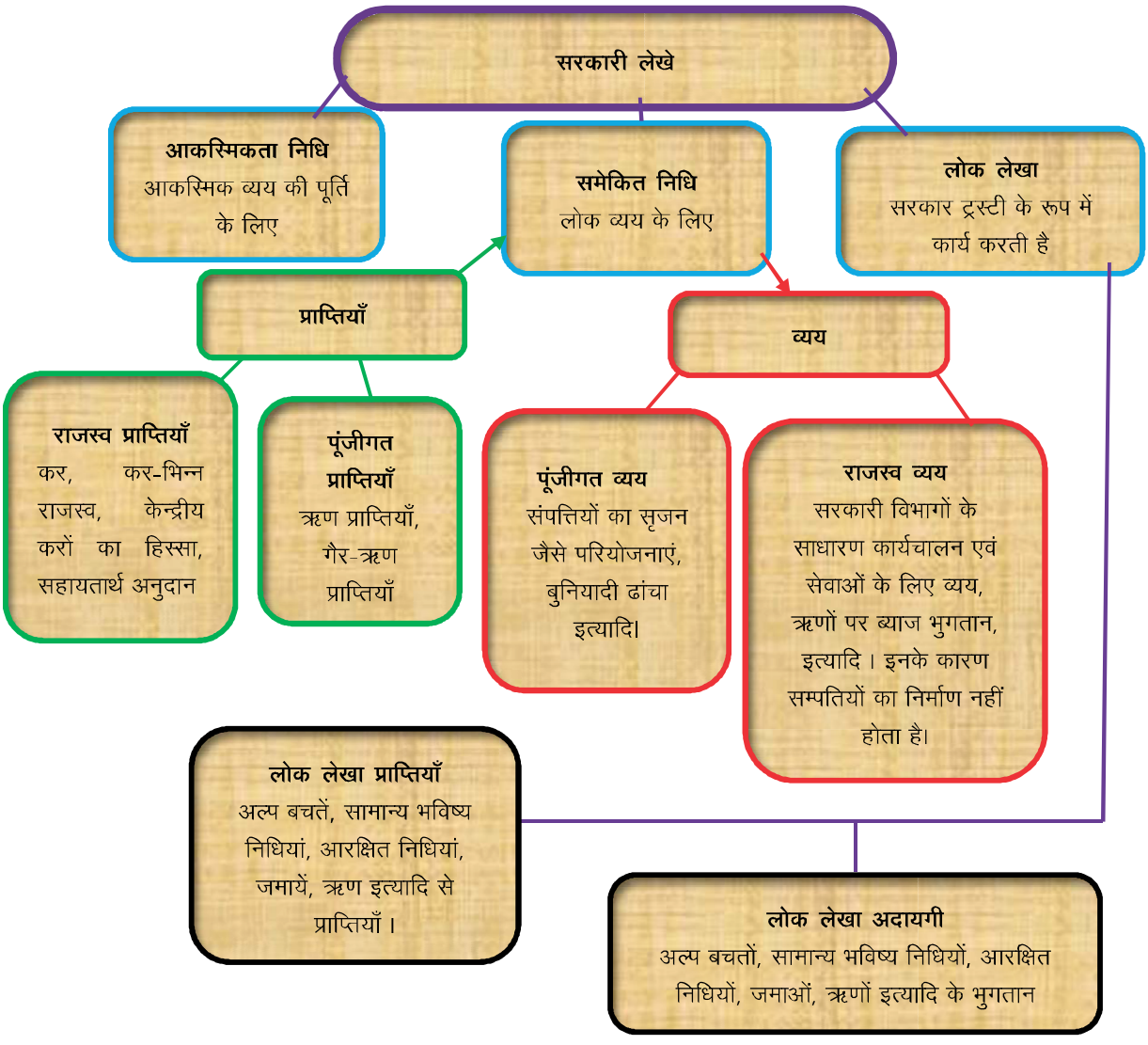

निधि आधारित लेखांकन के साथ लेन-देनों का कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण सरकारी गतिविधियों/लेनदेनों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और लोक वित्त पर विधायी अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में (बजट के रूप में संदर्भित) राज्य विधानमंडल के समक्ष उस व्यय के अनुमानों के साथ-

- जो राज्य की समेकित निधि को प्रभारित हो;
- वे राशियाँ जो राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखते हुये, राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 55 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया और इनके अनमोदन के पश्चात, समेकित निधि से आवश्यक राशि के विनियोजन के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया है।

जैसा कि **अनुच्छेद 1.2** में उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए वित्त और विनियोग लेखे मुख्य आंकड़े प्रदान करते हैं। ये लेखे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर-सरकारी और अन्य समायोजनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि ये प्राप्तियां और व्यय बजट में अनुमानित किये गए और व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के बजट का बारीकी से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमानों के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया हैं।

1.4.1 वित्तीय स्थिति का सारांश

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019-20 के वास्तविकों के साथ-साथ वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजट अनुमान	2020-21 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व-कर राजस्व	59,245	77,029	60,283	78.26	6.29
2	कर-भिन्न राजस्व	15,714	19,596	13,653	69.67	1.43
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	36,049	46,886	35,576	75.88	3.71
4	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	29,106	29,893	24,796	82.95	2.59
5	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)**	**1,40,114**	**1,73,404**	**1,34,308**	77.45	14.02
6	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	15,670	752	373	49.60	0.04
7	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	20	30	14	46.67	0.00
8	उधार और अन्य देयताएं (ब)	37,654	33,923	59,376	175.03	5.72[1]
9	**पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)**	**53,344**	**34,705**	**59,763**	172.20	6.24
10	**कुल प्राप्तियां (5+9)**	**1,93,458**	**2,08,109**	**1,94,071**	93.25	20.26

1. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

क्र. सं.	घटक	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजट अनुमान	2020-21 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
11	**राजस्व व्यय जिसमें**	**1,76,485**	**1,85,750**	**1,78,309**	95.99	18.61
12	ब्याज भुगतान	23,643	25,494	25,202	98.85	2.63
13	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	5,198	-	990	-	0.54
14	**पूँजीगत व्यय जिसमें (स)**	**16,973**	**22,359**	**15,762**	70.50	1.65
15	पूँजीगत परिव्यय	14,718	21,619	15,271	70.64	1.59
16	ऋण और अग्रिम	2,255	740	491	66.35	0.05
17	**कुल व्यय (11+14)**	**1,93,458**	**2,08,109**	**1,94,071**	93.25	20.26
18	**राजस्व घाटा (5-11)**	**36,371**	**12,346**	**44,001**	356.40	4.59
19	**प्रभावी राजस्व घाटा (18-13)**	**31,173**	**-**	**43,011**	-	**3.25**
20	**राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}**	**37,654**	**33,923**	**59,376**	175.03	6.20
21	**प्राथमिक घाटा (20-12)**	**14,011**	**8,429**	**34,174**	405.43	3.57

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएंः लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखों का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का निवल। प्रभावी उधार एवं अन्य देयताएं ₹54,772 करोड़ होगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया है कि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

(स) पूंजीगत खाते पर व्यय में पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। तथापि, राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 2,957.37 करोड़ के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त शेष होने के कारण राजस्थान ने राज्य के लिए पुनर्भुगतान दायित्व के बिना राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 4,604 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹59,376 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए ₹4,604 करोड़ ऋण प्राप्ति के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधियां और परिसंपत्तियां जिनमें मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं। **तालिका 1.4 एवं *परिशिष्ट 1.2***, 31 मार्च 2021 को देयताओं एवं परिसम्पतियों का सारांश प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें					परिसम्पतियाँ				
		2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि/कमी			2019-20	2020-21	प्रतिशत वृद्धि/कमी
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	2,42,077.41	2,84,788.78	17.64	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,02,806.46	2,18,062.87	7.52
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	17,302.50	23,532.15	36.00	ब	ऋण एवं अग्रिम	9,847.92	9,965.41	1.19
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि		**500.00**	**500.00**	-					
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	51,468.62	56,325.69	9.44	अ	अग्रिम	3.21	3.17	(-) 1.25
ब	जमायें	33,842.46	36,713.81	8.48	ब	प्रेषण	10.37	-	(-) 100.00
स	आरक्षित निधियां	9,881.68	11,242.77	13.77	स	उचंत एवं विविध	120.15	4.06	(-) 96.62
द	प्रेषण	-	1.50		**नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)**		**7,704.41**	**6,487.51**	**(-) 15.79**
					योग		**2,20,492.52**	**2,34,523.02**	**6.36**
					राजस्व खाते में घाटा		**1,34,580.15**	**1,78,581.68**	**32.70**
योग		**3,55,072.67**	**4,13,104.70**	**16.34**	**योग**		**3,55,072.67**	**4,13,104.70**	**16.34**

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियां 6.36 प्रतिशत जबकि देयताएँ 16.34 प्रतिशत बढ़ी।

1.5 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है । इसके अतिरिक्त, वे तरीके जिनसे घाटे को वित्तपोषित किया जाता है, और जुटाये गए संसाधनों का उपयोग करना राज्य की राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भाग घाटे के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं राजकोषीय स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अपना 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम', 2005 अधिनियमित किया गया था । इसको वर्ष 2011, 2016 एवं 2021 में संशोधित किया गया । चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया। आगे, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों को ऋण समेकन के सुझाये गए मार्ग की पालना

करनी चाहिए और ऐसा करने में, उन्हें एफआरबीएम अधिनियमों में निहित ऋण एवं राजकोषीय घाटे दोनों की परिभाषा का पालन करना चाहिये, जो कि बजट से इतर उधार, आकस्मिक देनदारियों एवं प्रत्याभूतियों से जुड़े मामलों को मान्यता प्रदान करता है ।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति को प्राप्त करना था । तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2020-21 तक लगातार आठ वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है ।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटा/अधिशेष के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	बजट अनुमान	(+) 557	(-) 8,802	(-)13,528	(-)17,455	(-) 27,015	(-) 12,346
2.	संशोधित अनुमान	(-)5,232	(-)17,838	(-)20,166	(-)24,825	(-) 28,041	(-) 41,722
3.	वास्तविक	(-) 5,954	(-)18,114	(-)18,535	(-)28,900	(-)36,371	(-) 44,001

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

टिप्पणीः वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान घाटा/आधिक्य उदय के प्रभाव सहित[2] दर्शाया गया है ।

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 44,001 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 12,346 करोड़) में किये गए आंकलन से तीन गुना से भी अधिक एवं संशोधित अनुमानों (₹ 41,722 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि इसके लिए बजट अनुमान दोषपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में बजट अनुमानों की तुलना में निरन्तर एवं उल्लेखनीय गिरावट देखी गयी।

राज्य सरकार वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे को बजट अनुमानों तक सिमित रखने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,73,404 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,34,308 करोड़ (जीएसटी के लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,633 करोड़ सहित) अर्थात् 22.55 प्रतिशत (₹ 39,096 करोड़) कम रही, जबकि ₹ 1,85,750 करोड़ के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,78,309 करोड़ अर्थात् मात्र 4.01 प्रतिशत (₹ 7,441 करोड़) कम रहा।

इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा।

2. उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए प्रारम्भ किया गया वित्तीय कायाकल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में यथा संशोधित) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत प्राप्त करने तथा उसके आगे इसी अनुपात को बनाये रखने या इससे कम करने की परिकल्पना की गई थी।

निम्नलिखित तालिका गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

तालिका 1.6: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1.	2018-19	2.98	3.39	3.74
2.	2019-20	3.19	3.16	3.77
3.	2020-21	2.99	6.12	6.20

स्रोतः बजट दस्तावेजों से बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान।

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 3 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 59,376 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 33,923 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 58,608 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था।

इसके अतिरिक्त, असाधारण कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के संसाधनों को मजबूत करने के लिये, वर्ष 2020-21 के लिये जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा प्रदान करने का निर्णय लिया (मई 2020)।

तथापि ऋण-जीएसडीपी अनुपात के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया (मार्च 2021), राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपरिवर्तित रहा ।

(iii) राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया (मार्च 2021) एवं 1 अप्रेल 2020 से प्रारम्भ छः वर्षों की अवधि के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी के 38.20 प्रतिशत तक करने और तत्पश्चात इस अनुपात को बनाये रखना या कम करना निर्धारित किया। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 42.37 प्रतिशत[3] रहा ।

तालिका 1.7: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष	राजस्व अधिशेष	(-)18,114	(-)18,535	(-)28,900	(-)36,371	(-)44,001
			✗	✗	✗	✗	✗
2.		तीन प्रतिशत	(-)46,318 (6.09)	(-)25,342 (3.06)	(-)34,473 (3.74)	(-)37,654 (3.77)	(-)59,376 (6.20)

3. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)		✗	✗	✗	✗	✗
3.	कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	36.50	35.50	35.00	34.00	38.20
		उपलब्धि	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37[4]
			✓	✓	✓	✗	✗

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 42.85 प्रतिशत हैं। तथापि, प्रभावी ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (42.37 प्रतिशत) कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर प्राप्त किया गया है जैसाकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निश्चित किया कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की गई मध्यकालिक राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) में राजकोषीय मापदंडों के निर्धारित किए गये लक्ष्यों की तुलना में वर्तमान वर्ष के वास्तविक को नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.8: वर्ष 2020-21 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2020-21)	अंतर (प्रतिशत में)
1.	स्व-कर राजस्व	77,029	60,283	(-) 21.74
2.	कर-भिन्न राजस्व	19,596	13,653	(-) 30.33
3.	केन्द्रीय करों का हिस्सा	46,886	35,576	(-) 24.12
4.	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,893	24,796	(-) 17.05
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,73,404	1,34,308	(-) 22.55
6.	राजस्व व्यय	1,85,750	1,78,309	(-) 4.01
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (5-6)	(-) 12,346	(-) 44,001	256.40
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष	(-) 33,923	(-) 59,376	75.03
9.	ऋण- जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	33.12	42.37[4]	27.92
10.	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.00	(-) 4.11	(-) 137.36

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वास्तविक, एमटीएफपी के अनुमानों से अधिक थे और ऋण-जीएसडीपी अनुपात एवं जीएसडीपी वृद्धि दर के अनुमानों को भी प्राप्त नहीं किया था, वर्ष के अंत में एमटीएफपी में अनुमानित की तुलना में देयता से जीएसडीपी अनुपात अधिक और जीएसडीपी में वृद्धि कम थी।

4. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2016-21 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

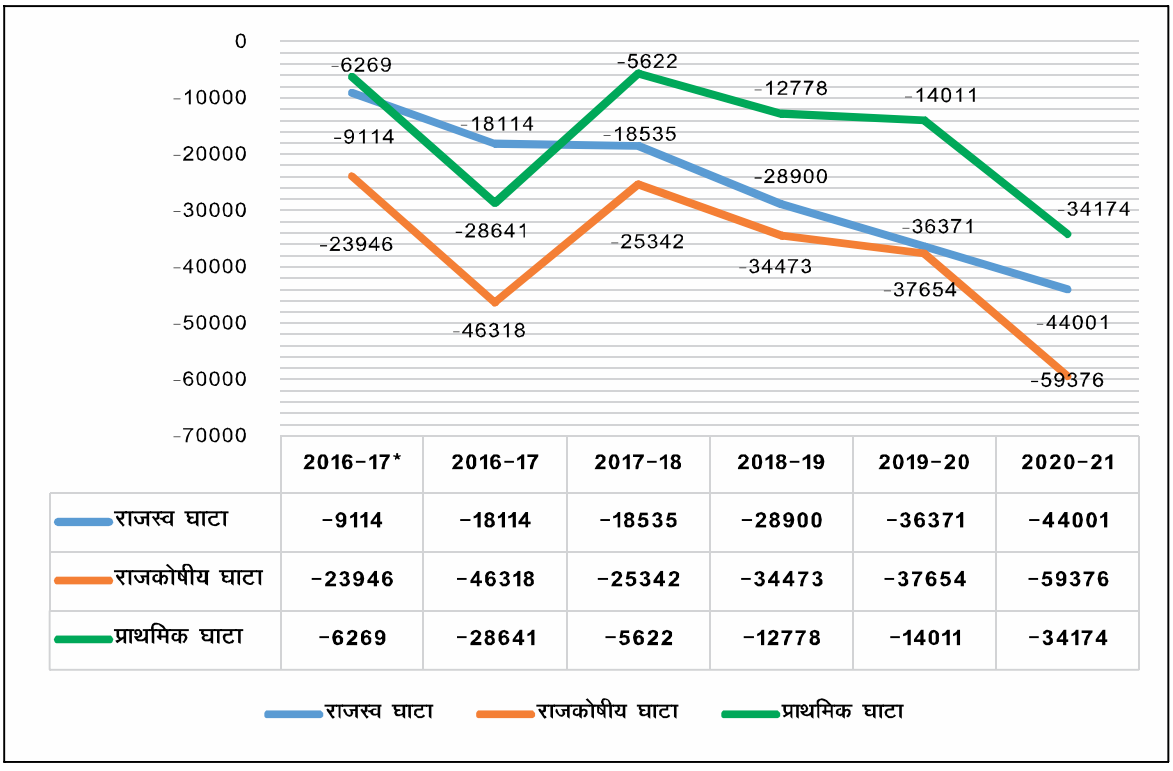

	2016-17*	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा	-9114	-18114	-18535	-28900	-36371	-44001
राजकोषीय घाटा	-23946	-46318	-25342	-34473	-37654	-59376
प्राथमिक घाटा	-6269	-28641	-5622	-12778	-14011	-34174

*उदय रहित

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे (उदय सहित) के संकेतकों की प्रवृति

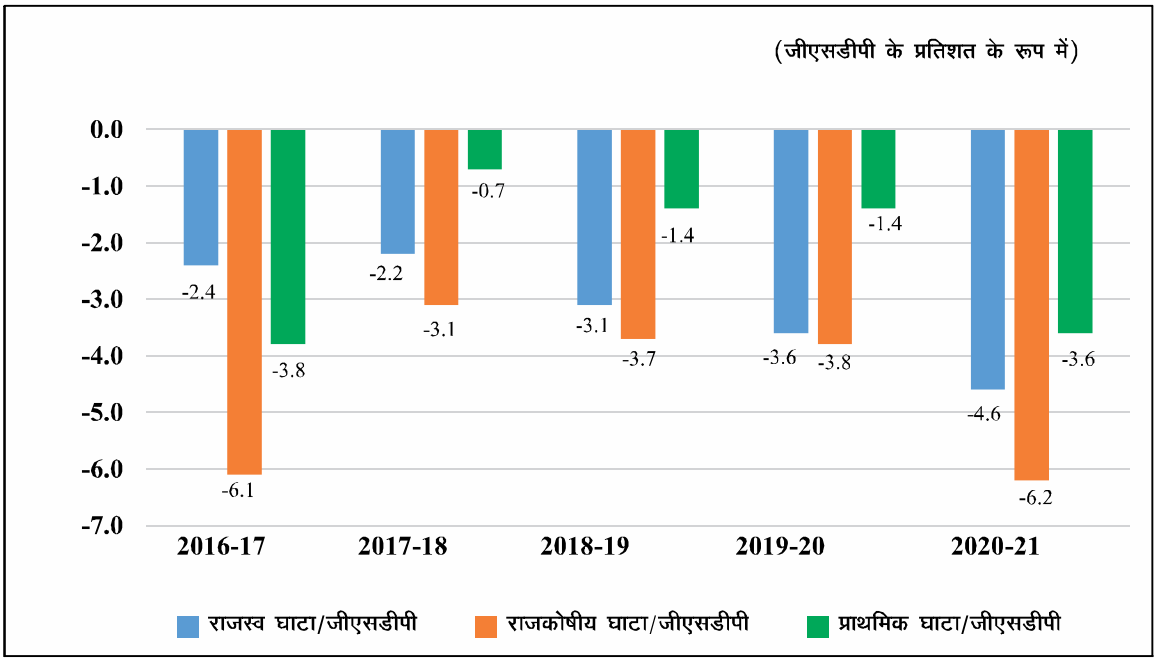

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

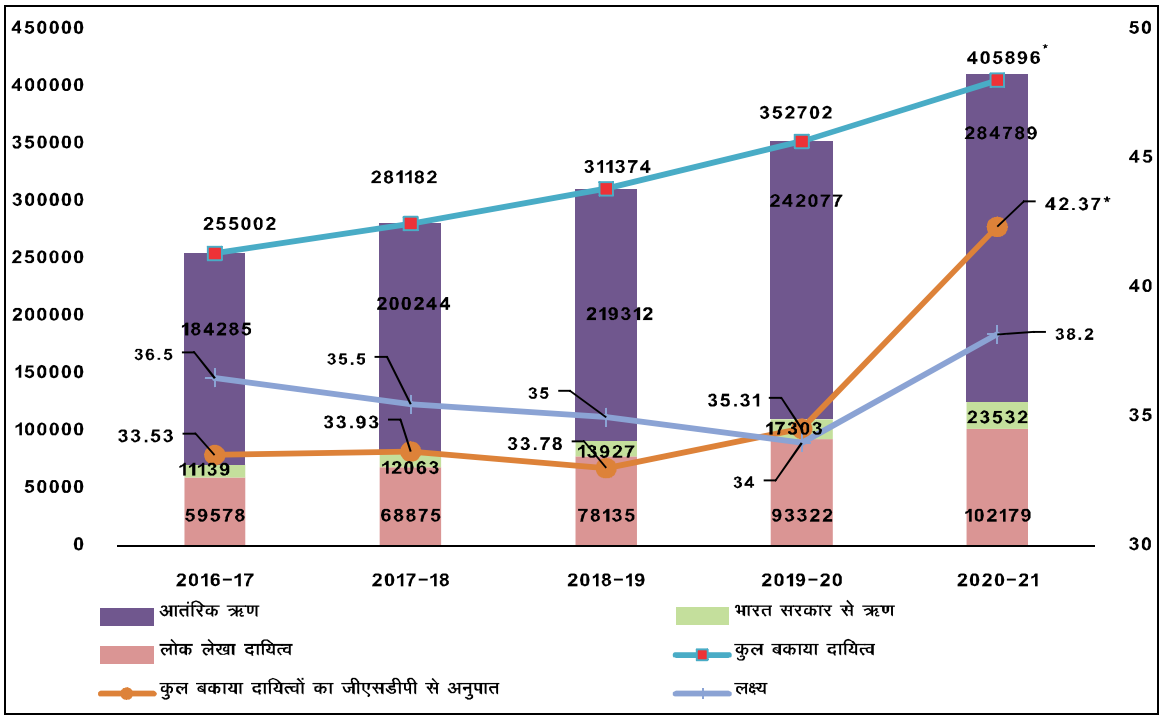

* कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, आंतरिक ऋण में 17.64 प्रतिशत (₹ 42,712 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 9.49 प्रतिशत (₹8,857 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 36 प्रतिशत (₹ 6,229 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 16.39 प्रतिशत (₹ 57,798 करोड़) बढ़ गई। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2019-20 में ₹ 17,303 करोड़ से वर्ष 2020-21 में ₹ 23,532 करोड़ की वृद्धि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले बैक-टू-बैक ऋण के अंतर्गत ₹4,604 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

31 मार्च 2021 को, गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड जारी किये जाने के कारण उदय के तहत ₹ 37,825 करोड़ की बकाया उधारी जो राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा है सहित कुल ₹ 4,05,896 करोड़[5] की राजकोषीय देयतायें थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का अनुपात (42.37 प्रतिशत[6]) एफआरबीएम लक्ष्य (38.20 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार के एमटीएफपी लक्ष्य (33.12 प्रतिशत) से अधिक था।

5. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर है।

6. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण ₹4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

1.6 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार करने की प्रवृत्ति देखी जाती है।

1.6.1 लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सुस्पष्ट दायित्वों को टाल देना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), डूबत और मोचन निधि में कम अंशदान, आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक आँका गया	कम आँका गया	अधिक आँका गया	कम आँका गया
1.	ब्याज-वाली आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना	-	8.61	-	8.61
2.	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान का एनएसडीएल को कम हस्तांतरण	-	40.29	-	40.29
3.	केन्द्रीय सड़क निधि का हस्तांतरण नहीं करना	-	141.81	-	141.81
4.	पेट्रोल और डीजल पर उपकर का कम हस्तांतरण	-	165.16	-	165.16
5.	जल संरक्षण उपकर का हस्तांतरण	72.47	-	72.47	-
6.	श्रम उपकर का अधिक हस्तांतरण	45.27	-	45.27	-
7.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अधिभार का कम हस्तांतरण	-	480.18	-	480.18
8.	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अनुदान जारी नहीं करना	-	281.00	-	281.00
9.	बजट से इतर परिचालनः जिला परिषदों को दी गयी अतिरिक्त प्रत्याभूति	-	-	-	50.41
	कुल (निवल) कम आँका गया	**999.31**		**1,049.72**	

स्रोतः वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 999.31 करोड़ रुपये कम हस्तांतरित किये गये और जिला परिषदों को दी गयी गारंटी के बकाया शेष में ₹ 50.41 करोड़ की गारंटी जोड़ते हुए

बजट से इतर राजकोषीय परिचालन किया गया, जिस कारण राजस्व घाटे को ₹ 999.31 करोड़ और राजकोषीय घाटे को ₹ 1,049.72 करोड़ कम आँका गया।

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत सुस्पष्ट देयताओं एवं सामान्य प्रावधायी निधि सहित राज्य के लोक लेखा से है।

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात कुल ऋण

1.		**कुल ऋण (₹ 4,05,895.46 करोड़[7])**	**जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (42.37 प्रतिशत[8])**
2.	**कुल ऋण (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण (₹ करोड़ में)**		
अ	बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न जिला परिषदों द्वारा लिया गया उधार जिनके मूल और/या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,804.41	0.19
	2 का योग	**1,804.41**	**0.19**
	योग (1+2)	**4,07,699.87**	**42.56[8]**

इस प्रकार, बजट से इतर उधारों को शामिल करते हुए मार्च 2021 के अंत में कुल बकाया ऋण ₹ 4,05,895.46 करोड़[7] के विरुद्ध ₹ 4,07,699.87 करोड़ आँका गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में कुल ऋण को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.19 प्रतिशत कम दर्शाया गया।

7. ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹4,604 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को हटाकर।

8. कुल बकाया देनदारिया जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु बैक-टू-बैक ऋण के अंतर्गत प्राप्त ऋण प्राप्तियों के ₹4,604 करोड़ हटाकर प्राप्त हुई है।